

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न सं. 1840
05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्री-फैब्रिकेटेड हाउसिंग को बढ़ावा

1840. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर के शहरी क्षेत्रों विशेषकर कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित ओडिशा में आवास की कमी को दूर करने के लिए किफायती और टिकाऊ समाधान के रूप में प्री-फैब्रिकेटेड भवन निर्माण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएमएवाई (शहरी) योजना में प्री-फैब्रिकेटेड आवास प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अगले पांच वर्षों का खाका क्या है;

(ग) क्या सरकार पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा सक्षम सामग्रियों का प्रयोग सुनिश्चित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्री-फैब्रिकेटेड आवास के निर्माण की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(ड.) देश में प्री-फैब्रिकेटेड आवास परियोजनाओं के माध्यम से निर्माण समय और लागत में अनुमानित कितनी कमी आई है; और

(च) सरकार घनी आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्री-फैब्रिकेटेड आवास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और जोनिंग विनियमन से संबंधित चुनौतियों का किस प्रकार समाधान करती है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): जी, हां। पीएमएवाई-यू के तहत, ओडिशा के कंधमाल संसदीय क्षेत्र सहित देश भर में आवासों के तेज, किफायती और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए निर्माण क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों द्वारा नवीन, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा कुशल और आपदा-रोधी प्रौद्योगिकियों और पूर्व-निर्मित प्रौद्योगिकियों सहित निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने और अपनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) स्थापित किया गया है।

पीएमएवाई-यू के तहत अब तक देश में प्री-फैब्रिकेटेड तकनीक सहित नवीन निर्माण तकनीकों का उपयोग करके लगभग 10 लाख आवासों का निर्माण किया गया है। इस प्रणाली में, दीवारों, स्लैब और बीम जैसे घटकों का निर्माण एक कारखाने में किया जाता है और फिर निर्माण स्थल पर उन्हें जोड़ा जाता है जिससे निर्माण समय में काफी कमी आती है और गुणवत्ता नियंत्रण में वृद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त, आवासों के तीव्र और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए टीएसएम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

- i. सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा अपनाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान, मूल्यांकन और प्रमाणन।
- ii. ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया (जीएचटीसी-इंडिया) की शुरुआत वैश्विक स्तर पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ सिद्ध निर्माण तकनीकों की पहचान करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए की गई थी, जिसमें प्री-फैब्रिकेटेड तकनीक भी शामिल है जो तेज, टिकाऊ, हरित और आपदा प्रतिरोधी है। जीएचटीसी-इंडिया के तहत, दुनिया भर से 54 अभिनव प्रामाणिक निर्माण तकनीकों को चुना गया।
- iii. जीएचटीसी-इंडिया के तहत चुनी गई छह अलग-अलग तकनीकों का उपयोग करके देश के छह स्थानों पर छह लाइट हाउस प्रोजेक्ट (एलएचपी) का निर्माण किया गया है। ये परियोजनाएँ टिकाऊ और आपदा-रोधी तकनीकों को अपनाकर शहरी आवास की कमी को दूर करने के भारत सरकार के प्रयास में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती हैं।
- iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को नवीन और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी और ऊर्जा-कुशल सामग्री प्रदर्शित करने और पेशेवरों के बीच तकनीकी जागरूकता का प्रसार करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके 13 प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (डीएचपी) बनाई गई हैं।
- v. निर्माण के लिए नई और उभरती हुई निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के बारे में भवन पेशेवरों की क्षमता बढ़ाने के लिए नवरीति: (भारतीय आवास के लिए नई, सस्ती, मान्य, अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकियां) नामक एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
- vi. वर्ष 2021 में भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला (आईएचटीएम) का आयोजन कम और मध्यम ऊंचाई वाले आवासों के लिए घरेलू स्वदेशी और नवीन तकनीकों, निर्माण सामग्री और निर्माण प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। आईएचटीएम के तहत 84 नवीन तकनीकों/उत्पादों/सामग्रियों को चुना गया। इसके अलावा, भारतीय शहरी आवास सम्मेलन 2022 के तहत, 85 से अधिक नवीन निर्माण प्रणालियों और सामग्रियों को

प्रदर्शित करने के लिए नवीन निर्माण प्रथाओं पर एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

- vii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जीआईजेड और निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) के सहयोग से आरएसीएचएनए (राष्ट्रीय कार्रवाई के माध्यम से लचीला, किफायती और आरामदायक आवास) नामक किफायती आवास के लिए नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों और थर्मल कम्फर्ट पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं की श्रृंखला की मेजबानी की है। देशभर में 150 से अधिक रचना प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं, जिनमें 11,000 से अधिक हितधारकों को शामिल किया गया है।
- viii. देश की विभिन्न भू-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पीएसीएस) संचालित की जा रही है, जो सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हैं और निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) द्वारा गुणवत्तापूर्ण आवासों की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करती हैं। पीएसीएस के तहत, अब तक 77 नवीन उत्पादों और प्रणालियों को प्रमाणित किया गया है।
- ix नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से ऑफसाइट कार्यशालाओं/वेबिनार, वेबकास्टिंग, तकनीकी जानकारी/मॉड्यूल पर परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित की गई।
- x. नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों और तीव्र, पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा कुशल, किफायती, पर्यावरण अनुकूल, आपदा प्रतिरोधी, टिकाऊ निर्माण प्रणाली से संबंधित अन्य क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकाशन जारी किए गए हैं।

पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देशभर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु पात्र लाभार्थियों को किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराये पर लेने के लिए सहायता देने हेतु 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

पीएमएवाई-यू के तहत स्थापित टीएसएम ने पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आवासों के तेज और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों और वैकल्पिक निर्माण सामग्री को अपनाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों को मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करना जारी रखा है। इसे अभिनव निर्माण प्रथाओं और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-मिशन (टीआईएसएम) में आगे बढ़ाया गया है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरों को जलवायु स्मार्ट इमारतों और लचीले आवास के लिए आपदा प्रतिरोधी और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को लागू करने में भी सहायता करता है। टीआईएसएम विभिन्न भू-

जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिज़ाइन और बिल्डिंग प्लान तैयार करने और अपनाने में भी मदद करता है।

(ड) और (च): क्षेत्र के अनुभव के आधार पर, प्री-फैब्रिकेटेड आवासों के उपयोग से समय और लागत में कमी प्रौद्योगिकी के प्रकार, स्थान और परियोजना के पैमाने आदि पर निर्भर करती है।

प्री-फैब्रिकेटेड आवास परियोजनाओं के संबंध में, घनी आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में भूमि अधिग्रहण और ज़ोनिंग विनियमन से संबंधित कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।
